

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मार्च 2019—चैत्र 2, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2019

क्र. एफ. 1-3-2017-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन (आबंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में,—

(1) विद्यमान शीर्षक “पच्चीस. जनजातीय कार्य विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“पच्चीस. आदिमजाति कल्याण.”

2. अनुसूची में,—

(1) विद्यमान शीर्षक “पच्चीस. जनजातीय कार्य विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“पच्चीस. आदिमजाति कल्याण विभाग.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2019

क्र. एफ. 1-03-2017-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-03-2017-एक (1), दिनांक 23 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd March 2019

No. F. 1-3-2017-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

1. In the said rules,—

(1) For the existing heading “XXV. Tribal Affairs Department”, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“XXV. Tribal Welfare.”.

2. In the Schedule,—

(1) For the existing heading “XXV. Tribal Affairs Department”, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“XXV. Tribal Welfare Department.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.